भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1377

दिनांक 13.03.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेजेएम के तहत आवंटित निधि

1377. श्री नीरज शेखर:
श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार में पाइप के माध्यम से सुरक्षित पेयजल कब तक उपलब्ध कराने का विचार है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई है;
(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर में सुरक्षित और पाइप द्वारा पेयजल प्रदान करने के लिए जेजेएम के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 69,684/- करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है; यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?
(घ) वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान बजटीय आवंटन में वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान आबंटित निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ङ): वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) के साथ 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य नल जल आपूर्ति में सक्षम बनाने के लिए, अगस्त, 2019 से भारत सरकार, राज्यों के साथ भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है।

जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 (17%) करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना दी गई थी। 09.03.2023 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अब तक, जेजेएम के अंतर्गत पिछले साढ़े तीन वर्षों में अतिरिक्त 8.15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रकार, 09.03.2023 की स्थिति के अनुसार, देश में 19.42 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 11.38 करोड़ (58%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जलापूर्ति होने की सूचना दी गई है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आबंटित केन्द्रीय निधियों, आहरित निधियों और निधि उपयोग का ब्यौरा निम्नानुसार है-

(राशि करोड़ रुपये में)

	केंद्रीय			राज्य हिस्से के तहत व्यय	केंद्र + राज्य व्यय
वर्ष	ब.अ./सं.अ.	राज्यों द्वारा आहरित निधि	सूचित उपयोग		
2019-20	10,000.66	9,951.81	5,998.89	4,066.88	10,065.77
2020-21	11,000.00	10,917.86	12,542.03	7,803.36	20,345.39
2021-22	45,011.00	40,009.77	25,524.36	18,679.87	44,204.23
2022-23*	55,000.00	34,765.79	38,195.23	28,802.76	66,997.99
Total	1,21,011.66	95,645.23	82,260.51	59,352.87	1,41,613.38

* 09.03.2023 की स्थिति के अनुसार स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

वर्ष 2023-24 में, मिशन के कार्यान्वयन के लिए 70,000 करोड़ की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का प्रस्ताव किया गया है, जो वर्ष 2022-23 के लिए 55000 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान से 15000 करोड़ रुपये अधिक है। जेजेएम के तहत निधियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन का निर्धारण इसके कार्यसंबंधी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

जेजेएम के अंतर्गत नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आबंटित करते समय आर्सेनिक और फ्लोराइड सहित रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी को 10% भारांक महत्व दिया जाता है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि आबंटित निधि के 2% तक का उपयोग जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण में किया जा सकता है। तथापि, आर्सेनिक अथवा फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों सहित जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए अलग से आवंटन नहीं किया जाता है।

*****

अनुबंध

दिनांक 13.03.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1377 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जल जीवन मिशन: 2022-23 में आवंटित केंद्रीय निधि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन (करोड़ रुपये में)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.15
2.	आंध्र प्रदेश	3,458.20
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,116.35
4.	असम	6,117.61
5.	बिहार	4,766.90
6.	छत्तीसगढ़	2,223.98
7.	गोवा	49.98
8.	गुजरात	3,590.16
9.	हरियाणा	1,157.44
10.	हिमाचल प्रदेश	1,344.94
11.	जम्मू एवं कश्मीर	3,039.11
12.	झारखंड	2,825.52
13.	कर्नाटक	5,451.85
14.	केरल	2,206.54
15.	लद्दाख	1,555.77
16.	लक्षद्वीप	36.99
17.	मध्य प्रदेश	5,641.02
18.	महाराष्ट्र	7,831.25
19.	मणिपुर	512.05
20.	मेघालय	747.76
21.	मिजोरम	333.91
22.	नागालैंड	484.28
23.	ओडिशा	3,608.62
24.	पुदुचेरी	17.83
25.	पंजाब	2,403.46
26.	राजस्थान	13,328.60
27.	सिक्किम	136.17
28.	तमिलनाडु	4,015.00
29.	तेलंगाना	1,657.56
30.	त्रिपुरा	666.97
31.	उत्तर प्रदेश	12,662.05
32.	उत्तराखंड	1,612.50
33.	पश्चिम बंगाल	6,180.25